Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.researchambition.com Email: publish2017@gmail.com
Vol. 3, Issue-IV
Feb. 2019
Impact Factor : 5.936 (SJIF) ******* e-ISJN: A4372-3068

भारत में सफेदपोश अपराधों का वर्गीकरण एवं भ्रष्टाचार से निवारण हेतु प्रभावी क्रियान्वयन– एक सामाजिक अध्ययन

देवेन्द्र द्वर्ग
अतिथि विद्वान (विधि)
महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर, (म.प्र.)

संक्षिप्त–परिचय

ये बात प्रायः सभी लोग जानते हैं, कि कुछ व्यवसायों में अनैतिक व्यवहारों के लिये ऐसे लाभ–दायक अवसर रहते हैं। जिनकी ओर जनता विशेष ध्यान नहीं देती है। अनेक व्यवसायों में जनता अपने रोष को प्रकट किये बिना ही अपराधिक कार्यों में संलग्न रहती है। इस प्रकार के लोग व्यापारिक क्षेत्र तथा जनसेवी संस्थाओं में अत्यधिक तादात में पाये जाते हैं। सम्भवतः उनमें दुष्प्रवृत्ति इसलिए होती है। कि उनको अपने परिवार या स्कूल में उचित शिक्षा का माहौल नही मिला हो, तथा अपने प्रारम्भिक जीवन में उपेक्षित रहे हों या उनके चरित्र निर्माण में कुछ कमी रह गई हो, तो ऐसे लोग नैतिकता या ईमानदारी में विश्वास नही रखते हैं। अतः इस तरह के अपराधों को सफेदपोश अपराध कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, कि वे लोग ईमानदारी तथा नैतिकता के प्रति जागरूक नही रहते हैं, वे लोग अपने द्वारा उन अपराधों को जो व्यवसाय के दौरान या प्रतिष्ठा के रहते किये जाते हैं। उन सभी अपराधों को सफेदपोश अपराध कहते हैं। हाँ ये बात अलग है, कि सामान्य अपराधों से सफेदपोश अपराध भिन्न होते हैं। क्योंकि सामान्य अपराध ज्यादातर सभी लोगों के सामने होने के कारण नजर में नहीं आते हैं क्योंकि ये सभी अपराध अपने व्यवसाय या प्रतिष्ठा या ख्याति के पीछे छिपकर किये जाते हैं। अतः हम यह कहते हैं कि ये अपराध व्यवसाय या प्रतिष्ठा के पीछे छिपे होने के कारण नजर नहीं आते हैं लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि लोग उन सभी तरह के अपराधों को नजर अंदाज भी करते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर राजनीतिक लोगों द्वारा तथा व्यवसायिक लोगों द्वारा, तथा जनता द्वारा इस तरह के अपराधियों को समर्थन भी किया जाता है। अतः इन सभी लोगों द्वारा इस तरह नजरअंदाज करने के कारण जो अपराध किये जाते हैं, उन अपराधों को सफेदपोश अपराध कहते हैं। इसके अलावा उन अपराधों का दूसरा नाम भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वो है आर्थिक अपराध अतः वे अपराध जो किसी भी तरह लोगों को आर्थिक मंदी की ओर धकेलते हैं। उन सभी अपराधों को आर्थिक अपराध कहते हैं। चूँकि सफेदपोश अपराध द्वारा आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है। जिसके कारण समाज को गरीबी, भुखमरी, तथा निम्न आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिये हम कह सकते हैं, कि सफेदपोश अपराध का ही दूसरा नाम आर्थिक अपराध है।

शब्द कुंजी: सफेदपोश अपराध, आर्थिक अपराध, न्यायिक दृष्टिकोण।

ऐतिहासिक–प्रष्ठभूमि

संभवतः ई. एच. सदरलैण्ड ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने आपराधिक जगत में सफेदपोश अपराध को प्रतिस्थापित किया। उन्होंने अपने द्वारा किये गये गहन अध्ययन द्वारा लोगों को बताया कि सफेदपोश अपराध किसे कहते हैं। तथा सफेदपोश अपराध के तहत किस तरह के अपराध आते हैं। तथा इस बात से भी लोगों को अवगत कराया कि रूढ़िगत अपराधों के अलावा भी कुछ अपराध होते हैं। जिन्हें सफेदपोश अपराध कहते हैं तथा इस तरह के सफेदपोश अपराध ज्यादातर उच्च वर्ग के लोगों या व्यवसायिक लोगों द्वारा इस तरह के अपराध किये जाते हैं लेकिन सबसे दुःखद बात यह है, कि इस तरह के अपराधों में की जाने वाली शिकायतों को ज्यादातर अनदेखा किया जाता है और इसी कारण इस तरह के अपराधों को करने से उत्पन्न दण्डों से इस तरह के व्यवसायी या अपराधी बच जाते हैं। सफेदपोश अपराध से सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि को तीन भागों में बाँटा गया है। जो निम्नानुसार है।

1. अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजन 1872:–

ये बात सही है कि सफेदपोश अपराधों के लिये सदरलैण्ड ने अहम योगदान दिया है। लेकिन इसके पूर्व भी विभिन्न लोगों द्वारा समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किये गये व्यवसाय के साथ जुड़े अपराधों या, असामाजिक कृत्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। क्योंकि जिस तरह वे समाज के लोगों हितों के विरुद्ध प्रचलित अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं उससे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है।

इसी सम्बन्ध में सन् 1872 में लन्दन में अपराध निवारण तथा दमन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 1872 अर्थात सन् 1872 में लन्दन में एक सेमिनार रखा गया, जिसमें एडविन एच. हिल ने "अपराधिक गतिविधियों" से सम्बन्धित एक शीर्षक के तहत एक शोध–पत्र पढ़कर यह बताया कि इस व्यापार जगत में संगठित रूप से हाने वाले अपराध द्वारा इस समाज के लोगों पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

2. एलवर्ट मौरिस के सामाजिक तथा आर्थिक विचार 1934:–

प्रो. एलवर्ट मौरिस ने सामाजिक तथा अर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों द्वारा किये जाने वाले अपराधिक कृत्यों के प्रति गंभीर दुःख अपनाये जाने पर बल दिया गया है। तथा उन्होने कहा है, कि इस बदलते हुए परिवेश में इस तरह के व्यावसायिक अपराधों में सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होने प्रतिष्ठत व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यावसायिक अपराध के रूप में किये जा रहे असामाजिक कृत्यों को अपराध के रूप में प्रतिपादित करने पर बल दिया है और उन्होने बताया है, कि प्रत्येक उस अपराध को जो व्यवसायिक कृत्यों द्वारा किया जाता है। उस अपराध को सफेदपोश अपराध कहते हैं। अतः इस तरह के अपराधों से समाज के सभी लोगों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

3. सदरलैण्ड का वास्तविक योगदान 1941:–

ये बात बिल्कुल सही है, कि सफेदपोश अपराध को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय तथा इसकी विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय केवल सदरलैण्ड को जाता है। अतः हम कह सकते हैं, कि सफेदपोश अपराध की वास्तविक व्याख्या सदरलैण्ड द्वारा की गई है। सदरलैण्ड ने अपने "शोध–पत्र" सफेदपोश अपराध में जोर देकर कहा है, कि उच्च सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठित रूप से सबलता वाले लोगों द्वारा अपने व्यावसायिक तथा व्यापारिक

कार्यों के दौरान जो कानून का उल्लंघन किया जाता है। उस कानून के उल्लंघन को ही सफेदपोश अपराध कहते है। उन्होने इस तरह के अपराधों को सफेदपोश अपराध कहने का औचित्य बताते हुए, ये भी बताया है कि इन्हें सफेदपोश अपराध इसलिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि इन अपराधों तथा सामान्य अपराधों में अन्तर होता है। इसके अलावा सदरलैण्ड के सफेदपोश अपराध की अपेक्षा सामान्य अपराधों को "ब्लू कौलर क्राइम" कहना उचित समझा है। उनके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यापारिक या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा कानून का उल्लंघन करके कोई अपराध किया जाता है। तो इसे सफेदपोश अपराध कहते हैं।

इस तरह भिन्न–भिन्न लेखकों द्वारा, अपराध शास्त्रियों द्वारा सफेदपोश अपराध को जाहिर करने अर्थात इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिनके मतों के आधार पर यह हम कह सकते हैं, कि वह अपराध जिसे किसी प्रतिष्ठित व्यवसायी या उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिष्ठा के तहत किया जाता है तो उसे सफेदपोश अपराध कहते हैं। दूसरी ओर बात सामने आई है, कि इस तरह के अपराधों से समाज को आर्थिक हानि का दुःखद सामना करना पड़ता है।

सफेदपोश अपराध का अर्थ, परिभाषा, आवश्यक तत्व, विशेषताए एवं प्रकृतिः–

इस अध्याय में बताया गया है, कि सफेदपोश अपराध का क्या अर्थ तथा उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। एवं उसकी विशेषताएँ तथा उसकी प्रकृति को समझाया है।

1. अर्थ :– जिस तरह समाज की गतिशीलता ने अनेकों समस्याओं को जन्म दिया है। ठीक उसी तरह अपराध की परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि देखने में आता है, कि आज सर्वसम्पन्न तथा प्रतिष्ठित लोग भी कानूनों का उल्लंघन करने तथा समाज विरोधी कार्यों को कर रहे हैं। और सोचने की बात तो यह है कि इन सभी कार्यों के लिये इन्हे दण्ड भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये अपराध लोगो की नजरों में नहीं आते और यदि आते हैं तो लोग इन्हें नजर अंदाज करते हैं। अर्थात हम इस बात को बेझिझक होकर कह सकते हैं, कि इस मामले में वह मुहावरा ज्यादा प्रचलित है। कि "समरथ को नहीं दोष गोसाईं" अर्थात लोगों द्वारा बलवान लोगों द्वारा अपराध या बुरे कार्यों को करने पर उन पर उँगली नहीं उठाई जाती है।

अतः हम कह सकते हैं, कि वे अपराध जो उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग, द्वारा अपनी प्रतिष्ठा या अपने पद की ख्याति के आधार पर किये जाते हैं। उन्हें सफेदपोश अपराध कहा जाता है। तथा लोगों के नजर में न आने या फिर उनके द्वारा नजरअंदाज करने के कारण इस तरह के अपराधियों को ज्यादातर परिस्थितियों में दण्ड नहीं मिलता है।

2. परिभाषा :– भिन्न–भिन्न लोगों द्वारा भिन्न–भिन्न तरीके से सफेदपोश अपराध को परिभाषित किया गया हैं जिनके कारण उनके विचारों में भी भिन्नता साफ स्पष्ट नजर आ रही है। जो निम्नानुसार है। :–

प्रो. सदरलैण्ड द्वारा :– सफेदपोश अपराधों के बारे में सर्वप्रथम परिभाषा सदरलैण्ड महोदय ने दी है। उनके द्वारा – "उच्च सम्मानित पद वाले तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के समय में किये गये अपराधों को सफेदपोश अपराध कहते है।

प्रो. रैकलैस द्वाराः– "सफेदपोश अपराधों द्वारा उन व्यवसायों के अपराधों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो व्यवसायों की नीति या कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।

प्रो. गोस्वामी द्वारा :– उच्च प्रतिष्ठावान व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किया गया कानूनों का उल्लंघन ही सफेदपोश अपराध कहलाता है।

निष्कर्षित परिभाषा :– इस तरह उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते है, कि वे अपराध जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की ओट में या अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किये गये हैं, या किये जाते हैं। उन सभी अपराधों को सफेदपोश अपराध कहते हैं।

3. आवश्यक तत्व :– सफेदपोश अपराध के अर्न्तगत मुख्यतः चार आवश्यक तत्व पाये जाते हैं। जो निम्न हैं –

1. ये अपराध समाज के उच्च प्रतिष्ठावान लोगों द्वारा किये जाते हैं।
2. ये अपराध व्यावसायिक पेशा तथा उनकी प्रतिष्ठा के रहते किये जाते हैं।
3. इस तरह के अपराधों में व्यावसायिक कानूनों का उल्लंघन होता है। क्योंकि ये अपराध व्यावसायिक क्रियाओं के तहत किये जाते हैं।
4. समाज के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक हानि होती है। जिसके कारण वे लोग धीरे–धीरे आर्थिक पतन की ओर अग्रसर होते है।

इस तरह हम कह सकते हैं। कि सफेदपोश अपराध मे इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है। या वे अपराध जिसमें ये सभी तत्व पाये जाते है। या इन सभी तत्वों का उसमें समावेश पाया जाता है। तो इन अपराधों को सफेदपोश अपराध कहेगें।

4. विषेषताएँ:– सफेदपोश अपराधों में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं–

1. यह अपराध व्यावसायिक अथवा पेशागत क्रियाओं में अनुचित लाभ कमाने की दृष्टि से किये जाते हैं।
2. सफेदपोश अपराध समाज के लोगों के साथ किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासघात पर आधारित होते हैं। ये अपराध जगत तथा अन्य लोगों का विश्वास जीतकर किया जाता है।
3. हालांकि ये अपराध दण्डनीय होते हैं, लेकिन सामान्यतः इस तरह के अपराधों में उसके अपराधी को दण्ड नहीं मिलता है।
4. सफेदपोश अपराधों का समाज तथा समाज के सभी लोगों पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है।
5. सफेदपोश अपराध उच्च वर्ग के लोगों द्वारा ही किये जाते हैं। ये अपराध कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा नहीं किये जाते हैं।
6. सफेदपोश अपराध की मौलिक विशेषता यह है, कि इस तरह के अपराध उच्च तथा प्रतिष्ठित लोगों, एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सम्पन्न लोगों द्वारा किया जाता है।
7. हालांकि ये अपराध भी सभी अन्य अपराधों की भाँति ही किये जाते हैं। लेकिन ये अपराध सामान्यतः प्रतिष्ठा के पीछे छिपकर करने के कारण इन्हें सफेदपोश अपराध कहते हैं।
8. जनता द्वारा तीव्र विरोध नहीं किया जाता है। क्योंकि इनका क्रियान्वयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
9. इसकी प्रकृति बार–बार बदलती रहती है।
10. इन अपराधों का सरकार पर प्रभाव रहने के कारण, सरकार द्वारा इन अपराधों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया जाता है।

इस तरह सफेदपोश अपराध में उपरोक्त सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं तथा इन सभी विशेषताओं के पूर्ण होने पर ही किसी अपराध को सफेदपोश अपराध माना जाता है।

5. सफेदपोष अपराधों की प्रकृतिः– सफेदपोश अपराध की प्रकृति के बारे में भी भिन्न–भिन्न विचारों का आदान–प्रदान किया गया है। अर्थात कुछ लोग इसे दीवानी मामलों की तरह मानते हैं। तथा कुछ लोग इसे आपराधिक मामलों की तरह मानते हैं।

अतः हम कह सकते हैं, कि इसकी निश्चित प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है। एक ओर सदरलैण्ड तथा उनके विचारों को मानने वाले लोग सफेदपोश अपराध को अपराध मानते हैं। वहीं दूसरी ओर पाल डब्ल्यू प्रभूति, सफेदपोश अपराध को, अपराध मानने को तैयार नहीं हैं।

(क) सफेदपोष अपराध अपराध नहीं है :– जैसा कि सभी जानते हैं, कि अपराध के आवश्यक तत्वों के होने पर ही किसी कृत्य को अपराध कहा जा सकता है। अन्यथा नहीं लेकिन इस तरह के अपराध में उन सभी आवश्यक तत्वों का अभाव होता है। जो निम्नानुसार हैं –

1. मानव का प्रत्यक्ष होकर सामने न आना – अपराधों को करने में मानव को प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना पड़ता है क्योंकि ये अपराध व्यवसाय या प्रतिष्ठा के पीछे छिपकर किये जाते हैं।
2. आपराधिक आशय का अभाव होना – इस तरह के अपराध में आपराधिक आशय का अभाव पाया जाता है। जो कि किसी–किसी कृत्य करने पर उसे अपराध का नाम देने में अहम भूमिका निभाता है।
3. आपराधिक कृत्य करना – इस तरह के अपराध में आपराधिक कृत्य को नहीं किया जाता है। अर्थात इसमें आपराधिक कृत्यों का अभाव पाया जाता है।
4. किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति न होना – इस तरह के अपराध से सामान्यतः किसी व्यक्ति को क्षति नहीं हाती है। अर्थात बिना क्षति के कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जा सकता है।
5. दण्ड का प्रावधान न होना – वह अपराध जिनके करने पर उसके लिये दण्ड संहिता में दण्ड की व्यवस्था हानी चाहिये जबकि इस अपराध के करने पर दण्ड संहिता में कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है।

इस तरह उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर इस अपराध को अपराध न मानकर केवल सामाजिक कुकृत्य माना है।

(ख) सफेदपोष अपराध, अपराध है :– प्रो. सदरलैण्ड तथा उनके विचारों को मानने वाले लोगों द्वारा सफेदपोश अपराध को अपराध माना गया है। उन सभी लोगों द्वारा इसे अपराध मानने के लिये निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं–

1. अन्य अपराधों की भाँति सफेदपोश अपराधों द्वारा भी लोगों को हानि पहुँचती है।
2. सफेदपोश अपराधों के लिये भी सामान्यतः अपराधों की भाँति दण्ड की व्यवस्था की गई है।
3. इस तरह के अपराधों को भी उसी तरह किया जाता है जिस तरह आपराधिक आशय के साथ अन्य अपराध किये जाते हैं।

अतः इस तरह हम कह सकते हैं कि सदरलैण्उ तथा उनके सभी अनुयायियों द्वारा इस तरह के अपराधों को अपराध माना गया है। ये बात तो साफ तथा स्पष्ट रूप में कही जा सकती है। कि सफेदपोश अपराध, अपराध न

होकर केवल एक सामाजिक कृत्य है। जिसको हम सभी लोगों द्वारा नैतिकता के खिलाफ माना गया है। लेकिन इसे अपराध नहीं कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सदरलैण्ड महोदय द्वारा इसको अपराध बताकर यह कहने का प्रयत्न किया गया है, कि किसी भी तरह दण्ड सिद्धान्तो में परिवर्तन करके इसके खिलाफ भी दण्ड की व्यवस्था की जा सके। ताकि सफेदपोश अपराध को, अपराध के रूप में मान्यता दिला सकें। लेकिन प्रो. बोल्ड के अनुसार यह पानी पर चलने जैसी बात है। यदि कोई चल सके तो अच्छा है।

सफेदपोष अपराध का स्वरूप तथा इसके कारण

1. सफेदपोष अपराध का स्वरूप :– सफेदपोश अपराधों का स्वरूप कुछ इस तरह का होता है कि इस तरह के अपराधों को करने से समाज के अनेक लोगों हानि होती है। अर्थात किसी एक व्यक्ति को हानि न होकर अनेक लोगों को हानि का सामना करना पड़ता है। इस तरह हम कह सकते है, कि एक व्यक्ति को इस तरह के अपराधों से अंशतः हानि ही होती है। यही कारण है, कि लोगों को ज्यादा क्षति नहीं होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग जागरूक नहीं हैं।

दूसरी ओर एक और नियम यह है, कि किसी क्रेता द्वारा किसी वस्तु का क्रय करने पर उस व्यक्ति का स्वयं का दायित्व होगा कि वह उस वस्तु का प्रकार, उसकी किस्म तथा उसकी कीमत आदि के बारे में स्वयं जागरूक होना चाहिए यह सिद्धान्त उस बात के आधार पर लागू किया जाता है, जिसके द्वारा यह कहा गया है, कि क्रेता सचेत हो। अर्थात इस नियम के कारण व्यावसायिक स्वयं को आराम से बचा लेता है। क्योंकि इस नियम के तहत स्वयं क्रेता को उस वस्तु से सम्बन्धित बातों के बारे में विचार कर लेना चाहिए हालांकि इस सम्बन्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सभी न्यायालयों से सन् 1933 में यह अपील की ,कि सभी स्थानों पर यह सिद्धान्त यानि कि क्रेता जागरूक होने का नियम समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि ये बात सही है, कि कभी तो सफेदपोश अपराध के लिये एक व्यक्ति ही भागीदार होता है। तथा कभी इस तरह के अपराध को कई लोग मिलकर करते हैं। जिस तरह भारत में हर्षित मेहरा काण्ड सन् 1992 में किया गया था, जिनमें अनेकों बैंकों तथा अनेकों उच्च अधिकारियों तथा अनेकों अफसरों तथा अनेकों राजनीतिको ने पूरे देश को आर्थिक संकट में डाल दिया था। जिसके कारण पूरे भारत में शेयर बाजार का संतुलन बिगड़ गया तथा भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी तरह सन् 1995 में टेण्डर काण्ड तथा 1996 में हवाला काण्ड तथा दक्षिण बिहार में चारा घोटाला काण्ड 1989 तथा चुरहरी लौटरी काण्ड 1988, तथा स्टौक मार्केट घोटाला काण्ड 2001, इस तरह अनेकों ऐसे घोटाले किये गये, जिनके द्वारा ज्यादातर घोटालों या काण्डों में एक नहीं, बल्कि अनेकों लोगों द्वारा मिलकर इस तरह के घोटाले करके उन्हे सफेदपोश अपराधों का रूप दिया गया था। सोचने की बात तो यह है, कि जनता कितनी उदासीन है। और जनता की इसी उदासीनता के कारण ही समाज में नित नये सफेदपोश अपराधों का होना पाया जाता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है, कि लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कि क्या हो रहा है, तथा क्यों हो रहा है। क्योंकि कुल मिलाकर लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि लागों के जागरूक होने पर ही समाज में पनपने वाले सफेदपोश अपराधों पर रोक लग सकती है। क्योंकि एक ओर जनता द्वारा उदासीनता रखना तथा दूसरी ओर

राजनीतिक लोगों द्वारा तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के मिलकर एक साथ सभी लोगों द्वारा मिलकर सफेदपोश अपराध किया जाता है।

2. सफेदपोष अपराधों के कारण :– ये बात सही है, कि आधुनिक अपराधशास्त्र के विकास को हुए लगभग दो सौ वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन सफेदपोश अपराध के कारणों को अभी ठीक तरह से नहीं समझा जा सका है। क्योंकि सफेदपोश अपराध स्वयं अपने आप में नवीन अपराध है। इसलिए इसके कारणों को भी संतोषजनक तरीकों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह सामान्य अपराध हमारी संस्कृति के साथ जुड़े है। ठीक उसी तरह सफेदपोश अपराध भी हमारी संस्कृति, समाज तथा इसके सभी लोगों से जुड़े हैं। इस तरह हमारे समाज में प्रचलित मनोवृत्ति तथा प्रचलित मूल्य, तथा सफेदपोश अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है। जिनके कारण समाज में सफेदपोश अपराध बढ़ रहा है। जो निम्नानुसार है–

(1) **व्यक्तिवाद :–** व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में हुई और दोनो प्रकार के व्यक्तिवाद में सफेदपोश अपराध की भावना को गम्भीर बना दिया। इसमें एक ओर राजनीतिक व्यक्तिवाद द्वारा वे लोग जो राजनीतिक रूप से सबल हैं। अपने सभी स्वार्थों के लिये सभी कानूनों को तोड़ने लगे इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि समाजिक मूल्यों का विघटन होने लगा तथा निजी स्वार्थों की पूर्ति होने लगी। तथा दूसरी ओर आर्थिक व्यक्तिवाद में लोगों का एक ही लक्ष्य था, वो था धनार्जन करना, इस स्थिति में लोगों द्वारा इस बात का ख्याल नहीं किया गया, कि धनार्जन किस तरीके से किया जाये, बल्कि दिमाग में एक ही बात रहती थी, वो थी किसी भी तरह से धनार्जन किया जाये। इस तरह ये सभी लोग, डॉक्टर, वकील, राजनीतिक, ठेकेदार इत्यादि इस तरह के अनेकों लोग धनार्जन करने हेतु सफेदपोश अपराध करने लगे।

(2) **धन को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानना :–** राजनीति तथा आर्थिक व्यक्तिवाद के परिणाम से समाज के धन की वृद्धि होने लगी जिसके कारण विलासिता पूर्ण जीवन की ओर अनुराग बढ़ने लगा, तथा इस जीवन को नियन्त्रित रखने के लिये अधिक धन की आवश्यकता पड़ने लगी। इस तरह देखा जाये तो धन समस्त जीवन की परम आवश्यक्ता बन गया तथा इसको संग्रह करने के लिये समस्त जीवन एक व्यापार बनकर रह गया। और इस तरह के जीवन प्रवाह के कारण सफेदपोश अपराध का होना स्वाभाविक है। उदाहरण क्रिकेट के मैदान में मैच फिक्सिंग करना पाया जाता है। जिसमें बड़े–बड़े खिलाड़ी शामिल होते हैं।

(3) **गतिशीलता का होना :–** व्यवसाय को उन्नति प्रदान तथा अत्यधिक धन कमाने की प्रवृत्ति ने मनुष्य में गतिशीलता तथा चंचलता उत्पन्न कर दी है। लोग अपने ही पड़ोस में अजनबी बन गये हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध ढीले होने लगे हैं। तथा इस तरह आपराधिक माहौल उत्पन्न होने लगा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे का ख्याल नहीं कर रहा है। इसी तरह सफेदपोश अपराध इसका अपवाद बन गया है।

(4) **धन से सरकारी संस्थाओं को विकलांग करना :–** ये बात सभी लोग जानते हैं। कि व्यापारी तथा राजनीति के लोगों द्वारा ही शासन का दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा, लाभ दिया जाकर, एक दूसरे से अपने काम करवाकर अपना स्वार्थ पूरा किया जाता है।

इस तरह इनके द्वारा एक ओर विधि–निर्माण तथा दूसरी ओर विधि प्रवर्तन की प्रक्रिया को कमजोर किया जाता है।

(5) **कानूनों की अधिकता का होना :–** हमारे देश में कानूनों की अधिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इसके कारण, सभी लोगों को सभी कानूनों का ज्ञान नहीं हो पाया है। इस कारण लोगों द्वारा कानून का अल्लंघन होने लगा है और कानूनों के उल्लंघन होने के कारण सफेदपोश अपराध होने लगते हैं।

(6) **सम्पति के अधिकारों की मान्यता :–** लोकतन्त्रात्मक देशों में सभी लागों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है। तथा अमेरिका जैसे देश में इसे मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। तथा भारत में भी कुछ समय तक सम्पति के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया था। लेकिन कुछ समय पूर्व इसे इसमें से हटा दिया गया है। इस तरह की मान्यता से धन कनमे तथा धन संचय करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस तरह सफेदपोश अपराध को सम्पत्ति के अधिकार से उत्पन्न हुआ माना जा सकता है।

(7) **कानूनों की अस्पष्टता :–** भारत वर्ष तथा अन्य देशों में अजकल जिस तरह कानूनों का निर्माण किया जा रहा है उन सभी कानूनों को समझने के लिए कानून का या कानूनी तकनीक का बारीक ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा इन कानूनों का अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा। अतः इस तरह वे कानून जो विधान मण्डल द्वारा बनाए तो गए है। लेकिन अस्पष्ट होने के कारण सधारण व्यक्ति की समझ से परे हैं। वह इन्हें नहीं समझ सकता है। इस तरह कानूनों की अस्पष्टता भी सफेदपोश अपराध को बढ़ावा दे रहीं है।

(8) **व्यक्तियों के हितों में प्रतिकूलता होना :–** जैसा कि सामने ही देख सकते है, कि आज का समाज कई वर्गों में विभाजित है। तथा इन सभी वर्गों के अपने–अपने सामाजिक मूल्य तथा आदर्श हैं। इस तरह इन सभी वर्गों के प्रथक–प्रथक विचार होने के कारण समाज को विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर धकेल दिया गया है। तथा प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक सत्ता को अपनाना चाहता है। हालांकि सभी लोग नहीं कुछ लोग नैतिक तथा अनैतिक कार्यों द्वारा स्वयं को सत्ता तक ले जा रहे हैं यह स्थिति सफेदपोश अपराध के लिये जिम्मेदार है।

(9) **कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट का प्रयोग करना :–** आधुनिक माहौल को देखकर हम यह कह सकते हैं, कि कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट द्वारा इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके द्वारा आर्थिक अपराध, यौन अपराध संगठित अपराध आदि में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। तथा इसके द्वारा रुपयों तथा दस्तावेजों एवं अनेकों तरह के अन्तरण द्वारा सफेदपोश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(10) **व्यापारियों द्वारा सफेदपोष अपराध को करने के अन्य तरीके :–** उपरोक्त सभी प्रकार के कारणों के अलावा भी व्यापारियों द्वारा सफेदपोश अपराध करने के कारण निम्नानुसार हैं–

(क) लाभ प्राप्त करने या गिरावट से बचने के लिये व्यापारी इस तरह के अपराध करता है।

(ख) व्यापारियों द्वारा विशेष विधि का ज्ञान न होने के कारण भी इस तरह के अपराध किये जाते है।

(ग) व्यापारिक नीतियों का अभाव होने के कारण भी इस तरह के अपराध गठित होते हैं।

(घ) विधि के अस्पष्ट होने का लाभ व्यापारी अपने पक्ष में लेना चाहता है।

(ङ) नेतागीरी तथा व्यापारी वर्ग में घनिष्ट सम्बन्ध पाये जाते हैं। इस कारण भी दोनो लोगों द्वारा मिलकर इस तरह के अपराधों को किया जाता है।

इस तरह उपरोक्त सभी कारणों को सफेदपोश अपराध का कारण माना गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन सभी कारणों को एकाकी रूप से सफेदपोश अपराध के लिये दोषी नहीं माना जाना चाहिए

क्योंकि सभी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात किसी एक के कारण से सफेदपोश अपराध का जन्म नहीं होता है। अनेको कारणों के साथ मिलने से सफेदपोश अपराध का जन्म होता है।

सफेदपोश अपराधों से सम्बन्धित व्यावसायिक अपराध

ये बात सही है, कि भारत वर्ष में सफेदपोश अपराध का अध्ययन विस्तृत रूप से अभी तक नहीं हुआ है। परन्तु वर्तमान में जिस तेजी से न्यायपालिका सक्रिय हुई है। उसी तीव्रता से सफेदपोश अपराध तथा उससे सम्बन्धित अपराधों का भी पता चला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कि न्यायपालिका की तीव्रता के कारण यह मालूम हो सका है, कि सफेदपोश अपराधों का व्यावसायिकता के अधार पर किस–किस तरह के व्यवसायों मे इसका होना पाया गया है। अर्थात वे कौन–कौन से व्यवसाय हैं। जिनमें सफेदपोश अपराध का होना पाया गया है। जो निम्नानुसार है :–

1. व्यापारियों द्वारा अपराध करना :– वर्तमान समय में उदारीकरण का दौर चल रहा है। बाहर की ज्यादातर कंपनियाँ अपने को भारत में स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। जिसके कारण टैक्स चोरी तथा सरकार के साथ विश्वासघात जैसे कार्यों को करके सफेदपोश अपराधों का जन्म हो रहा है।

2. राजनीतिक लोगों द्वारा अपराध करना :– भारत में ज्यादातर सफेदपोश अपराध राजनीतिक लोगों द्वारा किये जा रहे हैं। वर्तमान में सांसद खरीद–फरोक्त काण्ड, चारा घोटाला काण्ड, दिल्ली में मकान आबंटन काण्ड ऐसे सफेदपोश अपराध हैं। जो कि भारत के प्रमुख राजनीतिक लागों द्वारा किये जा रहे हैं। जिन्होंने आर्थिक व्यवस्था को ही लड़खड़ाकर रख दिया है। इसके अलावा यह कहना अनुचित न होगा, कि इस राजनीतिक संक्रमण से शायद ही कभी देश बच सके। क्योंकि ये बुरी तरह फैल चुका है।

3. सरकारी अधिकारियों द्वारा अपराध करना :– ये बात देखने में आई है, कि सभी विभागों के कुछ ना कुछ अधिकारी किसी न किसी रूप में सफेदपोश अपराध से जुड़े होते हैं। वे लोग विधि की सभी तकनीकियों से वाकिफ होते हैं। अतः वे सफेदपोश अपराधों को करने में माहिर होते हैं। क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है, कि कौन से कार्य को किस तरह करना है। अर्थात वे सभी कार्यों को इस, कानून के दायरे में रहकर करते हैं। कि उनका कार्य भी हो जाता है तथा उसके किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है। उदाहरणतः रिश्वत खोरी, सुविधा शुल्क लेना इत्यादि।

4. धार्मिकता द्वारा अपराध करना :– भारत वर्ष सभी देशों मे एक मात्र ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश का खिताब मिला है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर ही लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। अर्थात धर्म की आड़ में या धर्म का नाम लेकर किसी भी तरह लोगों से रुपया ऐंठने में कामयाब हो जाते हैं। तथा अनेकों ऐसे अपराधों को भी करते हैं। जो दण्ड के पात्र होते हैं। जैसे :– दिल्ली का इच्छाधारी बाबा तथा अनेकों ऐसे धर्म गुरु हैं। जिनके द्वारा महिला यौन अपराध, चोरी, डकैती तथा अन्य अपराध भी किये जाते है।

5. चिकित्सा द्वारा अपराध करना :– जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज के इस दौर में अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बारे में मरीज तो क्या किसी डॉक्टर को भी मालूम नहीं होता है। अतः इस परिस्थिति में मरीज तथा उसके साथी लोगों का घबराना सामान्य बात है। बस इसी बात का लाभ उठाकर डॉक्टर

उससे काफी ज्यादा राशि इलाज के रूप में बसूल कर लेते हैं। तथा इसके अलावा नशीली दवाओं की बिक्री करना।

6. एडवोकेट द्वारा अपराध करना :– वकालात के पेशे में भी कई तरह के तरीकों द्वारा सफेदपोश अपराध को किया जाता है। इसमें एडवोकेट द्वारा मुकदमे की सही तरह से पैरवी न करना, दुरभि सन्धि करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करना झूठे साक्ष्यों को पेश करना अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के अपराधों को एक एडवोकेट इस ढंग से करता है, कि उसे आप पकड़ नहीं सकते।

इस सभी अपराधों के अलावा वकीलों द्वारा अपने मुव्वकिल को इस तरह के तरीकों को बताना जिसके तहत अपराध आसानी से किया जा सके, तथा कानून द्वारा लाभ भी मिल सके । अर्थात कानून के दायरे में रहकर किसी अपराध को करने की सलाह देना।

7. शिक्षकों द्वारा अपराध करना :– शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा भी सफेदपोश अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्थात शिक्षकों द्वारा पुनर्मुल्यांकन करना मौखिक परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिलवाना तथा अपने भाई–भतीजों को पास करना। इस तरह के अनेक सफेदपोश अपराधों को शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है। अतः शिक्षकों द्वारा फेल विद्यार्थी को पूरक तथा पूरक विद्यार्थी को पास कराया जाता है।

8. मीडिया द्वारा अपराध करना :– हालांकि हम सभी लोगों को मीडिया तथा मीडिया के लोग साफ सुथरे नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन सभी लोगों में ज्यादातर लोग साफ–सुथरा चोला पहनकर तथा शरीफ बनने का नाटक करते हैं। तथा ज्यादातर मीडिया के लोग दूसरे राजनीतिक तथा अन्य व्यापारी वर्गों से मिलकर रहते हैं। ताकि इस सभी लोगों से लाभ कमाया जा सके।

9. पुलिस द्वारा अपराध करना :– पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है। जहां लोग जाते तो हैं। इनसे मदद माँगने लेकिन इनकी मदद करके आना होता है। अर्थात ये विभाग या इसके अफसरों द्वारा अभियुक्त हो या फरियादी इनके द्वारा दोनो ही तरह के पक्षकरों से वसूली करना इस विभाग का ध्येय बन गया है।

ये लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगाते हैं, कि कौन व्यक्ति किस परेशानी से निकलकर आ रहा है। तथा उसे किस तरह उस परेशानी से उबारना है। ये तो बस अपनी जेब भरने में लग जाते हैं।

10. न्यायालयों द्वारा अपराध करना :– न्यायालयों द्वारा भी सफेदपोश अपराधों के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई जाती है। अर्थात न्याय की इस गद्दी पर बैठकर भी न्याय के देवता द्वारा सफेदपोश जैसे अपराधों को किया जाता है। इनके द्वारा दबंग वकीलों की सुनवाई जल्दी कर ली जाती है। तथा मामूली लोगों की सुनवाई आसानी से नहीं की जाती है।

इस तरह हम कह सकते हैं, कि उपरोक्तानुसार बताये गये वे व्यावसायिक अपराध हैं। जो सफेदपोश अपराधों से जुड़े हैं। लेकिन ये बेहद दुख का विषय है। कि भारत में सफेदपोश अपराध जोरों से बढ़ रहा है। और इस पर अभी तक तो सही रूप में नियन्त्रण नहीं हो पाया है। इस नियन्त्रण की कमी के कारण ये अपराध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो कि हमारे राष्ट्र के लिये बहुत ज्यादा अहितकारी साबित होगा। क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, कि इस तरह के सफेदपोश अपराध द्वारा समाज में सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। जिससे समाज का आर्थिक पतन होने लगता है।

सफेदपोश अपराध का प्रभाव एवं इस पर नियन्त्रण करना:–

इस अध्याय में यह बताया गया है कि सफेदपोश अपराधों को समाज तथा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तथा इस प्रभाव पर किस तरह नियन्त्रण पाया जा सकता है।

(अ) सफेदपोश अपराध का प्रभाव :– जब सफेदपोश अपराधों के होने के कारण लोगों या समाज पर जो आर्थिक हानि या परेशानी का संकट पड़ता है। उसे सफेदपोश अपराध का प्रभाव कहते हैं। जो निम्न लिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है :–

1. **आर्थिक संतुलन बिगड़ना :–** सफेदपोश अपराध सामान्यतः बड़े–बड़े लोगों द्वारा किया गया अपराध होता है। क्योंकि सफेदपोश अपराध छोटे अर्थात गरीब लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये अपराध वे ही लोग करते हैं। जो धनवान होते है। लेकिन व्यवसायी या धनी वर्ग वाले अपने बचत या लाभ कमाने के लिये सभी लोगों को आर्थिक हानि पहुँचाते हैं। ये लोग गरीबों का हक मारकर दोनो वर्गों के बीच गरीबी तथा अमीरी की खाई को बढ़ाया जाता ळें अतः इस तरह एक ओर गरीब तथा दूसरी ओर अमीर पक्ष हो जाता है। तथा दोनो के बीच संघर्ष चलता रहता है।

2. **समाजवाद में बाधक होना :–** जैसा कि ऊपर बताया गया है। कि सफेदपोश अपराधी इस तरह अपराधों द्वारा पूरे समाज को दो पक्षों में बांटकर दोनो के बीच समाजवाद की भावना को पूर्ण नहीं होने देता है। तथा इस कारण दोनो पक्ष मिलकर साथ–साथ नहीं रह सकते हैं।

3. **करों की हानि होना :–** जैसा कि सभी जानते हैं। कि सफेदपोश अपराधी पढ़े लिखे होते हैं। जिस कारण ये लोग अपनी चालाकी तथा समझबूझ द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करने में कामयाब हो जाते हैं। तथा तमाम तरह की जालसाजी करके देश को देने वाले कर की चोरी करते हैं। जिसके कारण देश को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तथा बाद में इस हानि का सारा बोझ आम जनता पर आ गिरता है। जिसके कारण जनता को करोड़ों की हानि उठानी पड़ती है।

4. **राष्ट्रद्रोही भावना का होना :–** राष्ट्रद्रोही लोग वे लोग होते हैं। जो अपने देश या राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। उन्हें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, कि देश को क्या हानि होगी, उन्हें तो केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है तथा वे अपने इस स्वार्थ के कारण सभी लोगों तथा अपने देश को भी धोखा दे सकते हैं। इन लोगों के लिये किसी की भावना की कोई कद्र नही होती है। देश को हानि हो या लाभ इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है।

5. **अनैतिकता को प्रोत्साहन देना :–** सफेदपोश अपराधी अपनी शक्ति तथा धन के बदले सभी तरह की सुविधाएँ पाना चाहता है। जिससे अनैतिकता पैदा होती है। तथा ऐसे व्यक्तिओं द्वारा अनैतिकता को फैलाया जाता है। ये लोग चारित्रिक रूप से स्वयं अनैतिक होते है। इनके कारण सामाजिक नैतिकता समाप्त हो गई है।

अर्थात सफेदपोश अपराधी अपनी शक्ति तथा धन के कारण सभी स्थानों पर अनैतिकता को फैलाता है तथा इस तरह के अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। इस तरह हम कह सकते हैं। कि सफेदपोश अपराधों के कारण समाज में आर्थिक संतुलन, करों की हानि तथा राजद्रोही भावना तथा अनैतिकता के प्रभावों को उत्पन्न किया जाता है।

(ब) सफेदपोष अपराधों पर नियन्त्रण करना :– हालाँकि सफेदपोश अपराधों पर नियन्त्रण नहीं पाया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज पर तब तक नियन्त्रण नहीं पाया जा सकता है। जब तक उसको सामने नही देखा जाये। लेकिन सफेदपोश अपराध ज्यादातर इस प्रकृति के होते हैं, कि उनको देखना या उनका पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इस तरह के अपराधों पर नियन्त्रण करने हेतु निम्न उपायों को किया जा सकता है।

1. **आपराधिक विधि में परिवर्तन करना :–** आपराधिकता में इस तरह की नई व्यवस्था करना चाहिए, जिसके द्वारा लागू विधि में मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए, जिसके कारण उन अपराधों को जो इस तरह के मामलों में किये जाते हैं। इस विधि के तहत समझा जा सके।

2. **कठोर दण्ड की व्यवस्था करना :–** आपराधिक विधि में इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए, कि इस तरह के अपराधों में अपराधी को कठोर दण्ड दिया जा सके। ताकि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराधों को करने से पहले कम से कम सोचने पर मजबूर हो जाये कि ऐसे अपराध करें या न करें।

3. **निवारक दण्ड की व्यवस्था करना :–** वे अपराध जो सफेदपोश अपराधों को करते हैं। इन सभी लोगों या अपराधों के लिये निवारक दण्ड की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था द्वारा इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। ताकि समाज में इस तरह के अपराध होना बन्द हो जाये।

4. **सम्पत्तियों को जप्त करना :–** वे अपराधी लोग जो जिनके द्वारा सफेदपोश अपराध किये जाते हैं। उन सभी लोगों की सभी तरह की सम्पत्तियों को जप्त कर लेना चाहिए ताकि उनके पास स्वयं द्वारा किये जाने वाले अपराधों को नहीं किया जा सके।

5. **प्रतिष्ठा का लाभ न दिया जाना :–** किसी अपराधी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उसकी प्रतिष्ठा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी प्रतिष्ठा का लाभ लेकर स्वयं को बरी या आजाद कराने के बाद दुबारा ठीक उसी तरह के अपराधों को करने का हो चुका होता है।

6. **अपराधों का प्रचार प्रसार करनाः–** प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों द्वारा इस तरह प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि अपराध की प्रकृति क्या है तथा अपराध किसने किया है।

7. **सफेदपोश अपराध के लिए दण्डः–** भारतीय दण्ड संहिता में सफेदपोश अपराधों के लिये दण्ड नामक एक अध्याय जोड़ना चाहिए तथा इस अध्याय मे सफेदपोश अपराधों से सम्बन्धित दण्डों या कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि लोगों द्वारा इस तरह के अपराधों को करने से पहले एक बार सोचना पड़े कि हम इस तरह के अपराध करें या न करें।

8. **अर्थदण्ड की व्यवस्था करनाः–** सफेदपोश अपराधों को करने वाले लोगों को उनके अपराधों के लिये कठोर अर्थदण्ड दिया जाना चाहिए अर्थात जब यह पता चल जाये कि किसने सफेदपोश अपराध किया, तो उसे अर्थदण्ड का दण्ड अत्यधिक देना चाहिए।

9. **आयोग का गठन करना :–** सफेदपोश अपराधों के लिए उनका अध्ययन तथा निवारण के लिये एक आयोग का गठन करना चाहिए ताकि उस आयोग द्वारा उसका अध्ययन किया जा सके तथा उसके निवारण हेतु उपायों को बताया जा सके। इस तरह इस आयोग द्वारा इससे सम्बन्धित आकड़ों का अध्ययन किया जायेगा।

10. **समाजवाद को बढ़ानाः–** सभी समाज के लोगों को मिलकर समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें। ताकि समाज एक साथ रहे।

11. **प्रौद्योगिक सम्बन्धि कानून बनानाः–** प्रौद्योगिकी सूचना सम्बन्धी कठोर कानून बनाना चाहिए तथा उन सभी कानूनों का कठोरता से पालन करना चाहिए, उसके पालन करने में लापरवाही बरतने पर उससे सम्बन्धित दण्ड का प्रावधान रखना चाहिए।

इस तरह हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी नियमों को मानने पर सफेदपोश अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि सफेदपोश अपराधों पर अभी कोई भी अंकुश नहीं है। अर्थात कठोर अंकुश नहीं होने के कारण इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्ष

जैसा कि हमने पढ़ा है कि सफेदपोश अपराध से तात्पर्य उस अपराध से है जिसे किसी व्यावसायिक या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने प्रतिष्ठा या व्यवसाय या पद की ख्याति के समय जो अपराध किये जाते हैं। उन सभी अपराधों को सफेदपाश अपराध कहते हैं। लेकिन ये अपराध सामान्य अपराधों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।

अर्थात ये अपराध केवल उसी दशा में किये जा सकते है। जब किसी व्यक्ति द्वारा उसके अत्याधिक लाभ कमाने हेतु कोई अपराध किया हो। इस तरह के अपराध को सफेदपोश अपराध कहते हैं। अब बात ये आती है। कि इस तरह के अपराधों से क्या हानि होती है। जिसे मालूम करने पर पता चलता है, कि ऐसे अपराधों द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक हानि होती है। जिसे पूरे समाज को उठाना पड़ता है तथा इन अपराधों से स्वयं व समाज को बचाने के उपाय निम्न हैं।

1. स्वार्थ की भावना न होना :– सफेदपोश अपराध का मुख्य आधार उसमें मिलने वाला लाभ होता है। अर्थात उसी लाभ को कमाने के लिये लोग इस तरह के अपराधों को करते हैं। लेकिन यदि लोग स्वार्थ की भावना का त्याग कर दे तो शायद इस तरह के अपराध कम होने लगें। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है।

2. लोगों का जागरूक होना :– इस तरह के सभी अपराध ज्यादातर छिप कर किये जाते हैं। क्योंकि सामने आकर तो अपराध नही कर सकेंगे। अतः सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए।

3. कानूनों का कठोर होना :– सफेदपोश अपराध के सम्बन्ध में किसी तरह के कठोर कानून की व्यवस्था नहीं है। अतः इस क्षेत्र में कठोर कानूनों के अभाव में इस तरह के अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि इसमें साधारण अर्थदण्ड देकर छोड़ दिया जाता है।

4. **जनता की सहानुभूति न होनाः–** सफेदपोश अपराध को करने वाले लोगों द्वारा जब हमारा आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया जाता है। तो हमें इन सभी या ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना चाहिए। अर्थात हमें इस तरह के लोगों द्वारा अपराध करने पर उनके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ये लोग सहानुभूति के पात्र नहीं होते हैं।

5. राजनीतिकों का सहभागी न होनाः– ज्यादातर ये बात देखने में आती है। कि इस तरह के अपराधों में राजनीतिक लोगों की सहभागिता पाई जाती है। इनके द्वारा इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अतः राजनीतिक लोगों द्वारा इस तरह के लोगों को मदद नहीं करना चाहिए।

6. न्यायिक पक्षपात न होनाः– इस तरह के अपराधों को करने वाले लोगों का साथ, न्यायिक लोग तथा उसके कर्मचारी द्वारा भी दिया जाता है। अतः इस तरह इस अपराध को करने वाले लोगों का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात न्यायिक पक्षपात नहीं करना चाहिए।

इस तरह इन सभी कमियों को दूर करने या इन उपायों को करने पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा किये जाने वाल सफेदपोश अपराधों को कम किया जा सकता है। तथा ठीक इसी प्रकार इन नियमों का पालन होता रहे तो शायद सफेदपोश अपराधों का होना बन्द हो जाये तथा हम यह कह सकते हैं। कि यदि सफेदपोश अपराध को कम करना है। तो इन सभी उपायों द्वारा ही कम किया जा सकता है।

सन्दर्भ–सूचीः–

1. डॉ. एम. पी. परांजयेः अपराधशास्त्र एवं दण्ड शास्त्रः द्वितीय संस्करण 2008।
2. Apradh Shastra Evam Dand Shastra : B.L. Babal : 3rd Edition 2009.
3. Girjesh Shukla : Criminology – Crime Causation, Sentencing And Rehabiliaiton Of Victims : EBC Publicaton : 1st Edition 2013.
4. Dr. N.V. Paranjape : Criminology, Penology And Victimology : Central Law Publications 8th Edition 2015.
5. एस. एस. श्रीवास्तव : अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र लॉ हाऊस 2nd संस्करण 2016।
6. SRA Rosedar : Criminology And Penology : Lexis Nexis Quick Reference Guide : 1st Edition 2017.

****